न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 03/2024

अपीलार्थी

श्रीमती त्रिजा देवी पुत्री श्री लकमाराम जी पत्नी श्री सोमाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–चवली, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. भोमाराम पुत्र श्री उकला उर्फ उकाजी, जाति–मेघवाल, निवासी–ओडा, तहसील–शिवगंज
2. वरदाराम पुत्र श्री उकला उर्फ उकाजी, जाति–मेघवाल, निवासी–ओडा, तहसील–शिवगंज
3. लीलाराम पुत्र श्री उकला उर्फ उकाजी, जाति–मेघवाल के विधिक वारिसान :–

3/1. वजाराम पुत्र श्री लीलाराम मेघवाल, निवासी–ओडा, तह. शिवगंज, जिला–सिरोही
3/2. खुशबु पुत्री श्री लीलाराम मेघवाल, निवासी–ओडा, तह. शिवगंज, जिला–सिरोही
3/3. सीता पत्नी श्री लीलाराम मेघवाल, निवासी–ओड़ा, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही

4. ओटी देवी पुत्री श्री लकमाजी पत्नी श्री हरतनाराम के विधिक वारिसान :–

4/1. हिरकाराम पुत्र श्री हरतनाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–वाण, तहसील– शिवगंज
4/2. छगन पुत्र श्री हरतनाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–वाण, तह. शिवगंज, जिला–सिरोही
4/3. शान्तिलाल पुत्र श्री हरतनाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–वाण, तह. शिवगंज

5. पुरकीदेवी पुत्री श्री लकमा पत्नी श्री जेपाराम के विधिक वारिसानः–

5/1. वचनाराम पुत्र श्री जेपाराम, जाति– मेघवाल, निवासी– कैलाशनगर, तहसील–शिवगंज
5/2. गोपाल पुत्र श्री जेपाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–कैलाशनगर तहसील–शिवगंज

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, तहसील– शिवगंज, जिला सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या 6 (छः) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 23 अप्रेल, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम ओडा, तहसील– शिवगंज, जिला–सिरोही के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 589 दिनांक 23–5–1981 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन व नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या– 6 (छः) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। जबकि प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3/1 से 3/3, 4/1 से 4/3, 5/1 व 5/2 को सम्मन व नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुए। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3/1 से 3/3, 4/1 से 4/3, 5/1 व 5/2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलार्थी के अधिवक्ता व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

(3) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी त्रिजादेवी, श्री लकमा पुत्र कुपाजी की जायन्दा पुत्री हैं तथा अपीलार्थी के अलावा, लकमाराम जी के अन्य विधिक वारसान में 2 पुत्रियां ओटी देवी व पूरकी देवी थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा उनके विधिक

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

वारिसान में प्रत्यर्थी संख्या 4/1 से 4/3 व 5/1 से 5/2 हैं। अपीलार्थी के पिता लकमाराम व माता गजी देवी की काफी समय पूर्व मृत्यु हो चुकी है। यह कि ग्राम ओड़ा, पटवार हल्का ओड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माण्डानी, तहसील–शिवगंज में अपीलार्थी के पिता लकमाराम जी की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा संख्या 99/5 रकबा 4–12 बीघा तथा खसरा संख्या 146/36 क, 162/1, 163/1, 164/40 कुल खसरे 4 कुल रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा आई हुई थी, जिसमें अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात् खसरा संख्या 99/5 के राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी की माता गजी बाई का नाम दर्ज किया गया तथा शेष खसरों को यथावत् रखा गया, परन्तु अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त सम्पूर्ण भूमि पर अपीलार्थी तथा उसकी माता व शेष दोनों बहिनें काबिज काश्त होकर बतौर स्वामी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर रही है तथा अपीलार्थी की माता की मृत्यु के पश्चात् उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में अपीलार्थी का 1/3 हक हिस्सा है तथा शेष 1/3 हक हिस्सा अपीलार्थी की बहिन ओटी देवी व 1/3 हक हिस्सा पुरकी देवी के कब्जे काश्त में आया तथा अपीलार्थी अपने 1/3 हक हिस्से पर काबिज होकर बिना किसी रूकावट के शान्तिपूर्वक काश्त कर रही है। यह कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 ता 5 के पिता लकमा व माता गजी देवी की मृत्यु होने के पश्चात् उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 व अपीलार्थी, लकमाराम व गजी देवी की जायन्दा पुत्री होने के कारण अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 का समान ही हक हिस्सा था परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी की माता गजीदेवी की मृत्यु के पश्चात् खसरा संख्या 99/5 के राजस्व रेकर्ड में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलार्थी के पिता लकमारामजी के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने के आधार पर अपीलार्थी के पिता लकमारामजी के भाई उकला उर्फ उकाराम के पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के नाम से नामान्तरकरण संख्या 589 दर्ज कर उक्त खसरा संख्या 99/5 के राजस्व रेकर्ड मे प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 का नाम दर्ज किया है। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्र व पुत्री को पैतृक सम्पति में समान रुप से बराबर हक हिस्सा प्राप्त होता है एवं अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 लकमाराम व गजी बाई की जीवित जायज सन्तान होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को अपीलार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा कानूनन प्राप्त नहीं होता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा राजस्व अधिकारियों के समक्ष गलत व झूठे तथ्य प्रस्तुत किये जाने से उक्त विरासत के नामान्तरकरण संख्या 598 दिनांक 23–5–1981 में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को ही अपीलार्थी के पिता लकमाराम के विधिक वारिसान मानकर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के नाम से अवैध नामान्तरकरण दर्ज करवाया है, परन्तु अपीलार्थी के पिता लकमारामजी के हक अधिकार व खातेदारी की शेष कृषि भूमि खसरा संख्या 146/36क, 162/1, 163/1, 164/40 के राजस्व रेकर्ड में बिना किसी नामान्तरकरण, बिना किसी वैध आदेश के तत्कालीन राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत व षड्यन्त्र कर अपीलार्थी के पिता लकमाराम का नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित कर प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 का नाम दर्ज करवा दिया, इस तथ्य से भी यह पूर्णतया स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 ता 5 की पुश्तैनी कृषि भूमि को हड़प करने की बदनियति से आलोच्य नामान्तरकरण दर्ज करवाया है जो काबिले खारिज है। यह कि अपीलार्थी के पिता लकमाराम व माता गजी देवी का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्व अधिकारियों ने प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत गलत तथ्यों को आधार बनाकर स्वर्गीय लकमाराम व गजी देवी के जीवित विधिक वारिसान के संबंध में जांच किये बिना ही और किसी व्यक्ति के बयान दर्ज किये बिना ही दर्ज किया है। जबकि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या की कृषि भूमि में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

रही है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 ता 5 का नाम दर्ज नहीं होने से अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 ता 5 के हक अधिकारो के प्रति शंका उत्पन्न हो रही है तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 ता 5 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 ता 5 को बतौर खातेदार प्राप्त होने वाले अधिकारो से वंचित होना पड़ रहा है। राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरकरण में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी 4 ता 5 का नाम दर्ज नहीं किये जाने से अपीलार्थी को बतौर उत्तराधिकार प्राप्त होने वाले हक अधिकारो पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। नामान्तरकरण एक फिसकल एन्ट्री है तथा नामान्तरकरण दर्ज होने या नहीं होने से खातेदार को प्राप्त होने वाले खातेदारों के हक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज नहीं किये जाने मात्र से अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 के खातेदारी हक अधिकार समाप्त नहीं होते है। अपीलार्थी के माता–पिता की मृत्यु काफी समय पूर्व हो जाने से प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 ने अपीलार्थी को जानकारी व सूचना दिये बिना उक्त आलोच्य नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं हो सकी, परन्तु अपीलार्थी को वर्तमान में किसान सम्मान निधि के लिए अपनी कृषि भूमि को सॉफ्टवेयर में अपडेट करवाकर लिंक करने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर उनकी जानकारी में आया जिस पर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 से सम्पर्क कर इस संबंध में जानकारी प्राप्त की तब प्रत्यर्थी संख्या 4 के विधिक वारिसान द्वारा अपीलार्थी को पुरानी जमाबंदीया प्रदान की, जिसको देखकर अपीलार्थी को यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 ने अवैध तरीके से उक्त नामान्तरकरण दर्ज करवाकर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 ता 5 के हक हिस्से की पुश्तैनी कृषि भूमि का आपस में बंटवारा करवा दिया है। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण की प्रतिलिपि की मांग किये जाने पर दिनांक 20–12–2023 को अपीलार्थी को प्राप्त हुई है। इस प्रकार आलोच्य नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 21–12–2023 को होने से मियाद अवधि की गणना नामान्तरकरण की जानकारी से किये जाने से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन करके अपीलार्थी की अपील विरुद्ध प्रत्यर्थीगण स्वीकार की जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम ओडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 589 दिनांक 23–5:1989 को निरस्त किया जावे एवं स्वर्गीय लकमाराम पुत्र श्री कुपाजी व गजी देवी पत्नी लकमाराम के हक हिस्से की कृषि भूमि में 1/3 हक हिस्से का नामान्तरकरण अपीलार्थी के हक में व शेष हिस्से का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि मृतक खातेदार गजी पत्नी लकमा जी भांबी, निवासी– ओडा की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, ओडा द्वारा उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 589 दायर किया गया, जो तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 23–5–1989 को स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम ओडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के खसरा संख्या 99/5 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि की खातेदार गजी पत्नी लकमा जी भांबी, निवासी– ओडा की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, ओडा द्वारा भोमा, वरदीया, लीलीया पि0 उका जी भांबी के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 589 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 23–5–1981 को स्वीकृत किया गया है।

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 589 दिनांक 23–5–1981 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–01–2024 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 589 दिनांक 23–5–1981 की जानकारी होने से नकल प्राप्त करने की अवधि कम करते हुए अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। चूंकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी को उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 589 दिनांक 23–5–1981 के संबंध में पूर्व से ही जानकारी रही हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपील प्रस्तुत करने की अवधि जानकारी तिथि से लागू होती है, न कि आदेश की तारीख से। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना प्रतीत होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी त्रिजादेवी, मृतक खातेदार गजी पुत्र लकमा जी भांबी की जायन्दा पुत्री हो। अपीलार्थी द्वारा ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त कृषि भूमि के मौके पर अपीलार्थी का उसके हक हिस्से अनुसार कब्जा–काश्त हो। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक खातेदार गजी पत्नी लकमा जी भांबी की मृत्यु के बाद उसकी खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 589 वर्ष 1981 में दायर होकर स्वीकृत हुआ है एवं इतने वर्षो की अवधि के बाद अपीलार्थी द्वारा इस अपील के माध्यम से उक्त कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा व मौके पर हक हिस्से अनुसार कब्जा–काश्त होना अंकित करते हुए उक्त कृषि भूमि में अपना हक जताया है, जबकि खातेदारी हक अधिकारों का निर्धारण सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर ही करवाया जा सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी एवं फिस्कल प्रोसीडिंग है, जिसके द्वारा भूमि पर स्वत्व एवं खातेदारी हक अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही